ASSISTANT LABOUR COMMISSIONER
R-12936
19/5/05
ALC
100

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

P.O-101
Km-5
Dett-3
CPB-6

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58] दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 26, 2005/वैशाख 6, 1927 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 396

No. 58] DELHI, TUESDAY, APRIL 26, 2005/VAISAKHA 6, 1927 [N.C.T.D. No. 396

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 अप्रैल, 2005

सं. फा. 01/03(05)/99/श्र.अ./स्था./खण्ड-II/105.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं. फा. 24/78/68/डीएच (एस) के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श करने के पश्चात्—

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के श्रमायुक्त कार्यालय में सहायक श्रमायुक्त के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यताओं और भर्ती पद्धति के संबंध में यहां संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं; तथा

2. दिनांक 27 जनवरी, 1998 की इस अधिसूचना संख्या फा.1/3(5)/89-श्र.अ./स्था./625 द्वारा अधिसूचित (समय-समय पर यथासंशोधित) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के श्रमायुक्त कार्यालय में सहायक श्रमायुक्त के पद के भर्ती नियमों को रद्द करते हैं।

Attested

The Controller,
Deptt. of Publication,
Civil Lines. Delhi-110054

99 351 (11)

अनुसूची

श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक श्रमायुक्त के पद के भर्ती नियम

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन मैरिट के आधार पर, है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी
1	2	3	4	5	6	7
सहायक श्रमायुक्त	09* (2004) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित	8000-275-13,500 रुपए	चयन	35 वर्षों से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय) आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब-डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी सब-डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।	नहीं

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
अनिवार्य :— (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष (2) विधि में डिग्री या समाज कार्य/श्रम कल्याण विधियों/औद्योगिक सम्पर्क/ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पर्सनल प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा या समकक्ष (3) सरकारी संस्थान या उद्योग या ट्रेड यूनियन संगठन में श्रम संबंधी समस्याओं से निपटने/ संचालित करने में तीन वर्षीय उत्तरदायित्वपूर्ण क्षमता	नहीं	1 वर्ष

Attested

The Controller,
Deptt. of Publication,
Civil Lines, Delhi-110054

98 (12) 83

8

1. टीप. : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।

2. टीप. : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

वांछनीय—हिन्दी तथा/या उर्दु की जानकारी

भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है
(11)	(12)
50% प्रोन्नति द्वारा। 50% सीधी भर्ती द्वारा। 2375-3500 (पूर्व संशोधित) 7450-11500 (संशोधित) समूह 'ख' के वेतनमान में सहायक श्रमायुक्त के नियमित पदधारी की उपयुक्तता प्रारम्भ में 8000-13500 रुपये के संशोधित वेतनमान के पद समूह 'क' पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा निर्धारित की जायेगी। यदि उपयुक्तता निर्धारित करने में उसे प्रारंभिक गठन में ही अपग्रेडिड पद पर नियुक्त किया गया समझा जायेगा। यदि 'अनुपयुक्तता' निर्धारित की जाती है तो उसे 7500-11500 रुपये के संशोधित वेतनमान में समूह 'ख' में जारी रहेगा तथा उसके मामले की प्रतिवर्ष समीक्षा की जायेगी।	**पदोन्नति :** ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा वाले श्रम अधिकारी/श्रम अधिकारी (कल्याण)/श्रम अधिकारी एवं मुख्य निरीक्षक दुकान तथा स्थापना। टीप : जहां कनिष्ठ जिन्होंने अपनी अर्हक/योग्यता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिए उन पर विचार किया जा रहा है उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा। शर्त यह है कि उनकी अपेक्षित अर्हता/योग्यता सेवा ऐसी अर्हता/योग्यता सेवा के आधे से कम न हो या दो वर्ष से कम न हो इनमें जो भी कम न हो तथा उन्होंने अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने पहले से ऐसी अर्हक/योग्यता सेवा पूरी की हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
(13)	(14)
ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —सदस्य 3. संबंधित सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —सदस्य 4. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव हो ग्रुप 'क' —सदस्य	इन भर्ती नियमों के किसी उपबंध को संशोधित/छूट देते समय तथा सीधी भर्ती करते समय, पदोन्नति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

Attested

The Controller,
Deptt. of Publication,
Civil Lines, Delhi

(13)		(14)
विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार हेतु)		
1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	—अध्यक्ष	
2. संबंधित सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	—सदस्य	
4. संबंधित विभागाध्यक्ष जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो	—सदस्य	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

नरेन्द्र कुमार, सचिव

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 26th April, 2005

No. F-01/03(05)/99-LC/Estt./Vol. II/105.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F. 24/78/68-DH(S) dated the 24th September, 1968, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission is pleased to—

(i) make rules in the Schedule hereto annexed regarding the method of recruitment and qualification necessary for the appointment to the post of Assistant Labour Commissioner in the office of the Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi; and

(ii) to cancel the recruitment rules for the post of Assistant Labour Commissioner in the office of the Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi notified vide this Government Notification No. F.1/3(5)/89-LC/Estt./625 dated the 27th January, 1998 as amended from time to time.

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF ASSISTANT LABOUR COMMISSIONER IN THE LABOUR DEPARTMENT, GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

UPSC Ref : 3/24D(13)/2003-RR

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection Post
1	2	3	4	5
Assistant Labour Commissioner	09* (2004), *Subject to variation dependent on work-load	GCS Group-"A" Gazetted	8000-275-13500	Selection

Age limit for Direct Recruits	Whether benefits of added years of service admissible	Educational and other qualification required for Direct Recruits
6	7	8
Not exceeding 35 years Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or	No	Essential : (i) Degree of a Recognized University or equivalent,

Attested

The Controller,
Deptt. of Publication.

6	7	8
orders issued by the Central Government. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (And not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul & Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).		(ii) Degree in Law or Post Graduate Degree or Diploma in Social Work/Labour Welfare Laws/ Industrial Relations/Personnel Management of a Recognized University/Institution or equivalent. (iii) Three years experience in a responsible capacity in handling/dealing with Labour Problems in a Government Establishment or Industry or Trade Union Organization. Note-1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. Note-2 : The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable :** Knowledge of Hindi and/or Urdu.

Whether age and EQ prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
9	10	11	12
No	1 Year	50% Promotion. 50% Direct Recruitment. The suitability of the regular holders of the post of Assistant Labour Commissioner in the scale of pay of Rs. 2375-3500 (Pre-Revised) Rs. 7450-11500 (Revised) Group-'B' will be initially assessed by the Commission for appointment to the Group-'A' post in the revised scale of pay of Rs. 8000-13500. If assessed "Suitable", he/she will be deemed to have been appointed to the upgraded post at the initial constitution. If assessed "Not Suitable", he/she shall continue to hold the Group-'B' post in the revised scale of pay of Rs. 7450-11500 and his/her case would be reviewed every year.	**Promotion :** Labour Officer/Labour Officer (Welfare)/ Labour Officer-Cum-Chief Inspector of Shops and Establishment with five years regular service in the grade. Note :— Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

1313 DG/2005-2

Attested

The Controller,
Deptt. of Publication.

15
95

301

If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment
13	14
Group-"A" DPC (for Promotion): 1. Chairman/Member, UPSC —Chairman 2. Chief Secretary, Government of NCT of Delhi —Member 3. Secretary concerned in the Government of NCT of Delhi —Member 4. Head of the Department concerned unless he is Ex-Officio Secretary in the Government of NCT of Delhi —Member **Group-"A" DPC (for considering confirmation):—** 1. Chief Secretary, Government of NCT of Delhi —Chairman 2. Secretary concerned in the Government of NCT of Delhi —Member 3. Head of the Department concerned unless he is Ex-Officio Secretary in the Government of NCT of Delhi. —Member	Consultation with UPSC necessary while making Direct Recruitment and Promotion and for Amendment/Relaxation of any provision of these Recruitment Rules.

By Order and in the Name of Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

NARENDRA KUMAR, Secy.

विकास विभाग

(कृषि विपणन निदेशालय)

अधिसूचना

दिल्ली, 26 अप्रैल, 2005

सं. एफ. 8/36/2005-डीएएम/एमआर/1604.—दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम 7), की धारा 23 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आर. डी. श्रीवास्तव, निदेशक, कृषि विपणन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा किसान हाट, छतंर पुर (अंधेरिया मोड़) को तुरंत प्रभाव से कृषि उत्पाद के रूप में अधिसूचित फलों और सब्जियों के विपणन के लिए, कृषि उपज विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर का सब-यार्ड (उप-परिसर) घोषित करता हूँ।

आदेश से,

डॉ. आर. डी. श्रीवास्तव, निदेशक

DEVELOPMENT DEPARTMENT

(DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING)

NOTIFICATION

Delhi, the 26th April, 2005

No. F-8/36/2005-DAM/MR/1604.—In exercise of the powers conferred under Section 23(2) of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act 7 of 1999), I, R. D. Srivastava, Director, Agricultural Marketing, Government of NCT of Delhi hereby notify Kisan Haat, Chhatterpur (Andheria Mor) as sub-yard of Agricultural Produce Marketing Committee (Market of National Importance), Azadpur for marketing of Fruits and Vegetables notified as agricultural produce with immediate effect

By Order,

Dr. R. D. SRIVASTAVA, Director

Attested

The Controller,